न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-244/2026

विनोद ओझा एवं बनाम् बिहार सरकार

[महिला थाना कांड संख्या 47/2025]

आदेश

13.03.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. विनोद ओझा, 2. विशाल ओझा, 3. शालू ओझा उर्फ आरजू सिंह, 4. निधि ओझा उर्फ निधि कुमारी, 5.सीमा ओझा उर्फ सीमा देवी एवं 6. विकाश ओझा** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 244/2026, सिवान महिला थाना कांड संख्या 47/2025, अंतर्गत धारा 85 भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह एवं विपक्षी विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि सूचिका की शादी दिनांक 28.11.2023 को सुमित कुमार ओझा उर्फ विवेक ओझा के साथ सूचिका के निवास स्थान गांधी मैदान, सिवान में सम्पन्न हुआ। सूचिका के पिता अपनी औकात के अनुसार मो0 750000/– नकद उसके ससुर के बैंक खाता में मो0 250000/– रूपया गाड़ी के लिए नकद एवं आभूषण मो0 पांच लाख रूपया का, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान 250000/– रूपया उपहार स्वरूप दिए। विदाई के समय सूचिका के भैसुर विकास ओझा व विशाल ओझा तथा ससुर विनोद ओझा एवं पति बिना स्विफ्ट डिजायर कार लिए, विदाई कराने को तैयार नहीं थे तो रिश्तेमंदों के बीच बचाव व सूचिका के पिता के लिखित देने के आश्वासन पर इनकी विदाई हुई तब सूचिका विदा होकर अपने ससुराल आई। प्रथम रात्रि को ही सूचिका के पति उसके कमरे में आए और उससे कोई बातचीत नहीं किए तथा चुपचाप सुबह चले गए। दो दिन तक यही क्रम उनका रहा तो सूचिका स्वयं उनसे बातचीत करना चाही। पहले तो वे सूचिका के साथ काफी रूखापन भरा व्यवहार किए तथा कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। यह शादी मेरी इच्छा के विरूद्ध मेरे मां–बाप, भाई ने दहेज के लिए किया है। मैं कहीं और शादी करना चाहता हूं जिसकी जानकारी उन लोगों को है। बाद में पता चला कि सूचिका के पति वीरगंज(नेपाल) में किसी लड़की के सम्पर्क में है। फिर भी सूचिका इस उम्मीद में थी कि स्थिति सुधर जाएगी किसी से कुछ नहीं कही। दिनांक 04.02.2024 को उसके पति अपने नौकरी पर गए जो मर्चेन्ट नेवी में है, चले गए। उसके पति के नौकरी पर चले जाने के बाद 1. विनोद ओझा, 2. सीमा ओझा, 3. भसुर विकाश ओझा, 4. विशाल ओझा, 5. गोतनी शालू ओझा, 6. निधि ओझा, 7. कृपाशंकर ओझा, 8. रेणु ओझा, 9. रितेश ओझा एवं 10. रितु ओझा सभी सूचिका को मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिए। बातों–बातों पर मारना–पीटना तथा भोजन–पानी भी देना बंद कर दिए। सूचिका के मोबाईल का कॉल डायवर्ट उसके पति अपने मोबाईल पर कर लिए जिसके चलते वह जब भी अपने प्रताड़ना की बात घर पर कहती थी तो उसके पति अपने परिवार में बता देते जिससे वे लोग सूचिका के साथ मारपीट करना शुरू कर देते। दिनांक 06.09.2024 को उसके पति वापस घर आए तो सूचिका के पति तथा अन्य सभी मुदालहम ने सूचिका से बेरहमी से पेश आते हुए बोलने लगे कि बड़ी बहू को वीरगंज में मकान मिला है, मंझली बहू को हफ्तापुर में तड़का में जमीन मिला है। तुम भी अपने पिता से बोलो कि सिवान की जमीन मेरे नाम से कर दे एवं शादी में जो स्विफ्ट डिजायर कार देने का वादा किए थे वह दे दें अन्यथा तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। दिनांक 26.09.2024 को पुनः उपरोक्त मांगों की पूर्ति के लिए सभी लोगों ने दबाव बनाया तथा सूचिका को बेरहमी से मारपीट कर सिवान लाकर छोड़ दिए तथा उसका सारा सामान, गहना, कपड़ा एवं अन्य किमती सामानों को रख लिया। उसके बाद सूचिका तथा उसके परिवार के सदस्य व रिश्तेमंदों ने अभियुक्तों के यहां जाकर कई बार उसे रखने हेतु निवेदन किए तो पहले तो उन लोगों ने पंचायती के लिए समय की मांग की तथा अंततः वे लोग 02.03.2025 को सूचिका तथा उसके परिवार के सदस्यों के साथ पंचायती करने वास्ते सिवान गांधी मैदान पार्क के प्रांगण में आए जहां पंचायती हुई जिसमें सभी मुदालहम ने हिस्सा लिया तथा बीच पंचायती में मारपीट की एवं गाली देते हुए कहा कि जब तक वादा की हुई कार और सिवान वाला जमीन नहीं देंगे तब तक सूचिका को रखने से इंकार कर दिए। इसके बाद भी आज तक सूचिका के परिवार रिश्तेदारों एवं संबंधियों के माध्यम से आरजू विनती करते रहे किंतु इन दहेज लोभियों ने बात नहीं मानी है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि उपरोक्त मामले में सूचिका के पति एवं उसके अन्य सदस्यों को अभियुक्त बनाया गया है और आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का अतीत साफ है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं है एवं आवेदकगण विनोद ओझा और सीमा देवी के खिलाफ खैरा थाना कांड संख्या 188/2024 के तहत मामला पंजीकृत है जिसमें वे जमानत पर हैं। यह मामला अत्यंत अविश्वसनीय है और प्रीती कुमारी के द्वारा अपने पति एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को परेशानी और अपमान में डालकर भारी रकम वसूलने के उद्देश्य से यह मामला पंजीकृत कराया गया है और सूचिका का पति मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। आवेदक

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

A.B.P. No.-244/2026

विनोद ओझा एवं बनाम् बिहार सरकार

[महिला थाना कांड संख्या 47/2025]

विनोद ओझा ने प्रीती कुमारी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक वाद संख्या 3015/2024 छपरा कोर्ट में दिनांक 12.11.2024 से चल रहा है। सूचिका प्रीति कुमारी ने अपने पति सुमित कुमार ओझा के खिलाफ परिवार न्यायालय, सिवान में भरण–पोषण का मामला भी पंजीकृत कराई है। सूचिका के पति सुमित कुमार ओझा को पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिवान महिला थाना कांड संख्या 47/2025, अंतर्गत धारा 85 भारतीय न्याय संहिता एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग हैं। इस कांड के सह अभियुक्त/पीड़िता के पति को पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदकगण का मामला भी जमानत प्राप्त अभियुक्त के समान है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण को निम्न शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अधिवक्ता/आवेदकगण **1. विनोद ओझा, 2. विशाल ओझा, 3. शालू ओझा उर्फ आरजू सिंह, 4. निधि ओझा उर्फ निधि कुमारी, 5.सीमा ओझा उर्फ सीमा देवी एवं 6. विकाश ओझा** को इस आदेश से 20 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय, सिवान में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किए जाने पर अभियुक्तगण को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर निस्पादित किये जाने पर निम्न शर्त पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि–

1. प्रस्तुत मामले में एक जमानतदार आवेदकगण के निकट संबंधी होंगे।
2. आवेदकगण पीड़िता से उसके पति के संबंध को सामान्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।
3. आवेदकगण पीड़िता को किसी भी प्रकार से भविष्य में प्रताड़ित नहीं करेंगे।
4. आवेदकगण विचारण में पूरा सहयोग करेंगे।

यदि आवेदकगण उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करते है एवं विचारण के क्रम में बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते है तो उसके बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता विद्वान विचारण न्यायालय को होगी।

लेखापित
ह0/–
(राजेश कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 13.03.2026